13

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 155/2011 & GCMS NO. 2021/420 दायर दिनांक –20–06–2011

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्रीमती बबीता देवी पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी तन जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. लीलाधर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी तन जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुनील कुमार पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. तहसीलदार कम उप पंजीयक तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रति॰ :– बजरंगलाल मूण्ड

दावा बाबत–घोषणार्थ ,दुरुस्ती रिकार्ड,
स्थाई निषेधाज्ञा
–:: निर्णय ::–

दिनांक : 16.05.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1552/969 रकबा 1.35 हैक्टर जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 है, जो इस जमीन पर भौतिक रूप से काबिज है।

वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 ने जमीन खसरा नम्बर 969/2 रकबा 1.35 हैक्टर ग्राम बुगाला की जमीन को दिनांक 31.12.1993 को श्रीमती पारबती पुत्री तारूराम जाट निवासी बुगाला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी, जिमसें इस जमीन में स्थित चाह भी शामिल है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 उक्त जमीन व चाह के खातेदार काश्तकार है, काबिज है, उपयोग उपभोग करते है।

वादी की जमीन के पश्चिमी तरफ प्रतिवादी नम्बर 1 की जमीन है, जो वादी से रंजिश रखता है तथा वादी के हक, हकूक, कब्जे काश्त की जमीन को हड़पना चाहता है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 स्वयं वादी वाली जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन उसे जमीन नही मिली तथा वादी को बेच दी, जिसके कारण प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादी से रंजिश रखते है, इसी कारण वादी की जमीन हडपना चाहते है, जिसे इस तरह का कोई अधिकार नही है। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उग्र स्वभाव के है, संख्या मे ज्यादा है जो लठ के बल पर वादी की जमीन हड़पने को आमादा है, जिन्हे रोकार जाना निहायत जरूरी है, अन्यथा वादी की सख्त हकतलफी होगी, वादी के अपूर्णीय क्षति होगी।

वादी द्वारा खरीदी गई जमीन में चाह है, जिसके पास जीर्ण–शीर्ण हालत में खुड़िडया है, ईंटे पड़ी है आदि वादी के हम हकूक व कब्जे की है, जिन पर भी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जबरदस्ती कब्जा करने की चेष्टा में है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नियत खराब है, जिसके वंशभूत होकर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 नाजायज कार्य करने पर आमादा है।

वादी के हक की जमीन में चाह बना है, [illegible] नम्बर 1554/969 में दिखा रखा है जिसे दुरूस्त कर चाह वादी के हक की जमीन में [illegible] जावे, जिसके लिये दावा घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का भी पेश है, इसी गलत रिकार्ड के कारण ही प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 नाजायज बदमाशी कर रहे है तथा इसी कारण से वादी के हक की जमीन चाह आदि पर कब्जा जबरदस्ती करने की [illegible] है।

वादी का प्राईमाफैसी मजबूत मामला है, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा नाजायज कृत्य किया जा रहा है, जिसके कारण वादी की सख्त हकतलफी हो रही है, जिन्हे रोका जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

वश्यक है। वादी के हक की जमीन का नक्शा ट्रेस से ही नही बना हुआ है, क्योकि चाह जो वादी के हक की है, उसे वादी की जमीन में नही दिखाकर प्रतिवादी नम्बर 1 की जमीन में दिखा रखी है, जो नाजायज है, जिसे दुरूस्त करके चाह को वादी के हक की जमीन में दार्शाई जावे, इसके लिये यह दावा दुरूस्ती व घोषणा का किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादी के हक की जमीन चाह ईटे खुडिडया आदि पर नाजायज कब्जा नही करे जिन्हे रोका जावे।

बिनाय मुखास्मत दावा न्यायालय के क्षैत्राधिकार में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 1 0 2 ने वादी को दिनांक 5.1.2011 को धमकी दी कि वर्षात होते ही खरीफ की फसल नही बौने देगे व वादी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगे के रोज न्यायालय क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

वादी द्वारा अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि चाहा वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 के हक हकूक व खातेदारी की जमीन में स्थित है तथा वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 चाह के खातेदार है, इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर चाह को वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी की जमीन में दर्शायाा जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हकूक की चाह जमीन आदि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करे तथा वादी को चाह जमीन आदि पर काबिज रहने में बाधा पैदा नही करे व उपयोग उपभागे करने दे। अन्य सिद्धि जो वादी के हक में हो चाही जाने से रह गई हो वह भी दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री बजंरग सिंह मूण्ड उपस्थित आये। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर दिनांक 25.03.2021 का जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की दिनांक 13.07.2011 को व प्रतिवादी नम्बर 3 की दिनांक 20.03.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की दिनांक 28.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की एक पक्षीय कार्यवाही होने एवं जवाब दावा पेश नही होने से प्रकरण में तनकीयात नही की गई। शहादत वादी में पीडब्ल्यू–1 वादी सुरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा पीडब्ल्यू–2 मनीराम पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति जाट विासी ग्राम बुगाला उपस्थित हो मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–3 जमाबदी 2067–2070, प्रदर्श–4 विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1993 प्रदर्शित करवाये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 ने जमीन खसरा नम्बर 969/2 रकबा 1.35 हैक्टर ग्राम बुगाला की जमीन को दिनांक 31.12.1993 को श्रीमती पारबती पुत्री तारूराम जाट निवासी बुगाला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी, में स्थित चाह भी शामिल है। वादी के हक की जमीन में चाह बना है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में चाह खसरा नम्बर 1554/969 में दिखा रखा है, जिसे दुरूस्त कर चाह वादी के हक मे जमीन में दिखाया जावे। वाद वादी स्वीकार किया जावे।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम बुगाला की जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खसरा नम्बर 1552/969 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी की खातेदारी सुरेन्द्र कुमार, सुनिल कुमार पिता मधाराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–1 से साबित होता है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 ने जमीन खसरा नम्बर 969/2 रकबा 1.35 हैक्टर ग्राम बुगाला की जमीन को दिनांक 31.12.1993 को श्रीमती पारबती पुत्री तारूराम जाट निवासी बुगाला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी जो कि पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांकित 31.12.1993 से साबित है। वादी ने अपने वाद में रिलीफ वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 के हक हकूक व खातेदारी की जमीन में स्थित है तथा वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 चाह के खातेदार है, इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर चाह को वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी की जमीन में दर्शाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हकूक की चाह जमीन आदि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करे। जहां तक पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं नक्शा उपलब्ध उनमें यह कहीं भी सिद्ध नही हो रहा है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 03 द्वारा क्रय की गई भूमि में चाह बना हो। प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेश में चाहा खसरा नम्बर 1554/969 में दर्शित है। वादीगण ने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया कि जिससे यह साबित होता हो कि विवादित चाह खसरा नम्बर 1552/969 में बना हो। दस्तोवजी साक्ष्य से यह साबित नही है कि चाह खसरा नम्बर 1552/969 में बना हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

(5)

हां तक खसरा नम्बर 1552/969 में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द का सवाल है उक्त भूमि खसरा नम्बर वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की सैपरेट खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

(16)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरुस्त रिकार्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 155 / 2011

(सुरेन्द्र कुमार बनाम बबीता देवी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी वाद वादी उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2022 को जारी की गई।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested